

शाखा
दिनांक 25/3/19

अनुपान हेतु प्रालय

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्रांक-9/विविध-पत्राचार-04-38/2017-
प्रेषक,

2189 (51)

पटना, दिनांक- 12/3/19

अमृत लाल मीणा,
प्रधान सचिव।

पथ निर्माण विभाग,
कम्प्यूटरीकृत निर्माण
पंजीयन संस्था
पटना

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता,
सभी उपभाग (राष्ट्रीय उच्च पथ / यंत्रिक उपभाग सहित)।
सभी अधीक्षण अभियंता,
सभी अंचल (राष्ट्रीय उच्च पथ / यंत्रिक सहित)।
सभी कार्यपालक अभियंता,
सभी प्रमंडल (राष्ट्रीय उच्च पथ / यंत्रिक सहित)।
उप निदेशक, प्रशिक्षण / परीक्षण एवं शोध संस्थान।

सचिव,
बिहार लोक कार्य संविदा विवाद माध्यस्थ न्यायाधिकरण, बिहार, पटना।
सम्पर्क पदाधिकारी, प0नि0वि0, बिहार भवन, नई दिल्ली।
अवर सचिव (लेखा/मु0), पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

विषय: मुख्य शीर्ष 5054, 3054 एवं 3451 में वित्तीय वर्ष 2018-19 के अन्तर्गत उपबंधित राशि के विरुद्ध व्यय के पश्चात् बचत राशि का प्रत्यार्पण करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वर्तमान वित्तीय वर्ष में मांग सं0-41 के अधीन मुख्य शीर्ष 5054, 3054 एवं 3451 अन्तर्गत विभिन्न उपशीर्षों में राशि आवंटित किया गया है। वित्तीय वर्ष के अंत में आवंटित राशि का व्ययोपरांत बचत की राशि का ससमय वित्त विभाग को प्रत्यार्पण किया जाना होता है। बजट प्रावधानित राशि के ससमय प्रत्यार्पण हेतु यह आवश्यक है कि विभिन्न कार्यालयों से ससमय प्रत्यार्पण मुख्यालय को प्राप्त हो जाय।

अतः निदेश दिया जाता है कि दिनांक-25.03.2019 तक इस कार्य हेतु अपने कार्यालय से किसी पदाधिकारी/कर्मचारी को मुख्यालय स्थित बजट शाखा में प्रतिनियुक्त करे ताकि बजट शाखा से सभन्वय स्थापित कर आवंटित एवं प्रत्यार्पित राशि का मिलान सुनिश्चित कर सके। किसी भी प्रत्यार्पित राशि की स्वीकृति नहीं होने पर सारी जबावदेही संबंधित कार्यालय प्रधान पर होगी एवं उनके विरुद्ध नियमानुकूल विभागीय कार्रवाई की जायेगी।

इस सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय।

विश्वासभाजन

27.3.19
(अमृत लाल मीणा)

Handwritten signature and initials